कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– 2622/14-1 मुरादाबाद, दिनांक, मार्च, 27, 2017.

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रामपुर।

विषय :– जनपद रामपुर में मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, बरेली द्वारा ग्राम पटवाई तहसील शाहबाद के गाटा सं0–450, रामपुर–शाहबाद (एम0डी0आर0न0–53)किमी0 14.531 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.079 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या–1845/14–1 दिनांक–20.03.2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त विषयक प्रस्ताव की जांच में निम्न कमियां प्रकाश में आयी हैं जिनका निराकरण आवश्यक है:–

1. ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु सुंख्या– 4 में density सही अंकित नहीं है।
2. पार्ट–2 (हिन्दी) के बिन्दु सं0–7 (vi) भरा नहीं है।
3. पार्ट–2 (हिन्दी) के बिन्दु सं0–12 (iv क,ख)व (v क,ख) अपूर्ण है।
4. Land suitability certificate में क्षेत्रफल में भिन्नता है।
5. क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम में अंकित प्रभावित क्षेत्रफल में भिन्नता है।
6. के0एम0एल0 फाईल ~~में~~ सीडी0 मात्र 01 फाईल में चस्पा है अन्य फाईलों मे भी चस्पा करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव की मूल तीन प्रतियां संलग्न कर प्रेषित हैं।

<u>संलग्नक–प्रस्ताव की मूल 03 प्रतियां।</u>

भवदीय,

(आर0पी0वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।